भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1277

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रोगियों के रेफरल से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा

†1277. श्री बिष्णु पद रायः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संसद सदस्य ने सरकार (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री) से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत मुख्यभूमि में सूचीबद्ध अस्पतालों में रोगियों के रेफरल से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा एवं संशोधन का अनुरोध किया है, जिसमें रोगियों तथा उनके सहचरों को आने-जाने दोनों यात्राओं के लिए पोत के स्थान पर हवाई यात्रा द्वारा रेफर किए जाने का सुझाव तथा रोगियों के कल्याण की सुरक्षा हेतु अन्य उपाय शामिल हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं तथा प्रस्तावित उपायों को लागू करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 7 सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल हैं। एबी-पीएमजेएवाई के लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए, योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई है, जिसके तहत पात्र लाभार्थी देश भर के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निवासी हों। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अस्पतालों के लिए पैकेज दरों को अनुकूलित करने और सूचीबद्धता मानदंडों में ढील देने की छूट है।
